



राजनीति

पार्टी सिस्टम

राजनीतिक दल का अर्थ

यह एक स्वेच्छिक संघ या व्यक्तियों का संगठित समूह है जो समान राजनीतिक विचार या विचारधारा साझा करते हैं और संवैधानिक साधनों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं।

आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के प्रकार

पार्टी का प्रकार	विवरण
प्रतिक्रियावादी पार्टियाँ	पुरानी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहते हैं।
कट्टरपंथी पार्टियाँ	इसका उद्देश्य मौजूदा संस्थाओं को उखाड़ फेंककर एक नई व्यवस्था स्थापित करना है।
रूढ़िवादी पार्टियाँ	यथास्थिति बनाए रखने और मौजूदा संस्थाओं को संरक्षित करने में विश्वास रखता है।
सुधारवादी पार्टियाँ	इसका उद्देश्य मौजूदा संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट किए बिना उनमें सुधार करना है।

विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण

वैचारिक समूह	राजनीतिक दल
लेफ्ट	कट्टरपंथी पार्टियाँ: सीपीआई, सीपीएम
सेंटर	उदारवादी पार्टियाँ: कांग्रेस
राइट	प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी पार्टियाँ: भाजपा

पार्टी प्रणालियों के प्रकार

पार्टी सिस्टम	विशेषताएँ	उदाहरण
एक-पक्षीय प्रणाली	केवल एक ही सत्तारूढ़ पार्टी मौजूद है; विपक्ष की अनुमति नहीं है।	पूर्व साम्यवादी देश (USSR, पूर्वी यूरोपीय देश)
दो पार्टी प्रणाली	इसमें दो प्रमुख पक्ष शामिल हैं।	उदाहरण- संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन।
बहुदलीय प्रणाली	अनेक राजनीतिक दल अस्तित्व में हैं, जिसके कारण गठबंधन सरकारें बनती हैं।	भारत, फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली

भारतीय पार्टी प्रणाली की विशेषताएं

विशेषता	विवरण
---------	-------

1. बहुदलीय प्रणाली	- आकार, विविधता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अद्वितीय राजनीतिक प्रक्रिया जैसे कारकों के कारण राजनीतिक दलों की बड़ी संख्या।
	- वर्तमान स्थिति: राष्ट्रीय दल (6), राज्य दल (54), पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल (2597)।
	- श्रेणियाँ: वामपंथी, मध्यमार्गी, दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक और गैर-सांप्रदायिक पार्टियाँ।
	- सामान्य परिघटनाएँ: अधूरे बहुमत वाली संसद, अधूरी बहुमत वाली विधानसभाएँ और गठबंधन सरकारें।
2. एक-प्रमुख पार्टी प्रणाली	- प्रारंभ में कांग्रेस का प्रभुत्व था (रजनी कोठारी ने इसे 'कांग्रेस प्रणाली' कहा था)।
	- 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों और अन्य राष्ट्रीय दलों (जैसे, भाजपा, जनता दल, आदि) के कारण कांग्रेस के प्रभुत्व में गिरावट।
3. स्पष्ट विचारधारा और संगठन का अभाव	- कुछ पार्टियों की विचारधारा स्पष्ट है (जैसे, भाजपा, सीपीआई, सीपीएम)।
	- कई पार्टियां समान विचारधाराएं साझा करती हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गांधीवाद की वकालत करती हैं।
	- राजनीति अधिक मुद्दा आधारित होती जा रही है, जिसमें व्यावहारिकता वैचारिक प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है।

	- कई पार्टियाँ क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना के साथ संघर्ष करती हैं।
4. व्यक्तित्व पंथ	- कुछ पार्टियाँ एक करिश्माई नेता के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जो पार्टी की विचारधारा को ढक लेती हैं।
	- राष्ट्रीय स्तर: नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी जैसे नेताओं के अधीन कांग्रेस का प्रभुत्व।
	- राज्य स्तर: एआईएडीएमके (एमजी रामचंद्रन), टीडीपी (एनटी रामाराव), बीजेडी (बीजू पटनायक), शिव सेना (बाला साहेब ठाकरे)।
5. पारंपरिक कारकों पर आधारित	- पार्टियाँ अक्सर धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर बनती हैं।
	- उदाहरण: शिवसेना (धर्म), बहुजन समाज पार्टी (जाति), गोरखा लीग (नस्ल)।
6. क्षेत्रीय दलों का उदय	- 1967 के बाद कई क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता मिली, जैसे, बीजेडी (उड़ीसा), जेडी(यू) (बिहार)।
	- क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है (उदाहरणार्थ, 1984 के लोकसभा चुनावों में टीडीपी की भूमिका)।
7. गुटबाजी और दलबदल	- गुटबाजी, दलबदल, विभाजन और विलय ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

	- उल्लेखनीय मामले: दो जनता दल, दो टीडीपी, दो डीएमके, आदि।
8. प्रभावी विपक्ष का अभाव	- विपक्षी दलों में अक्सर एकता का अभाव रहता है और वे राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहते हैं।
	- विपक्षी दलों के बीच परस्पर विरोधी स्थितियां प्रभावी शासन में बाधा डालती हैं।

भारत की पार्टियाँ प्रणाली का विकास

अवधि	प्रमुख विशेषताएँ
1952-64: राष्ट्रीय सहमति का नेहरूवादी युग	- कांग्रेस पार्टी प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी, जिसे अक्सर "कांग्रेस प्रणाली" के रूप में संदर्भित किया जाता था।
	- कांग्रेस ने व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति का प्रतिनिधित्व किया, तथा सभी समुदायों और लोगों के हितों पर ध्यान केंद्रित किया।
	- छोटी पार्टियाँ अस्तित्व में थीं लेकिन वे मुख्य रूप से दबाव समूहों के रूप में काम करती थीं।
1964-77: इंदिरा गांधी और क्षेत्रीय दलों का उदय	- नेहरू की मृत्यु के बाद, 1967 के चुनावों में कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वह आठ राज्यों में बहुमत हासिल करने में विफल रही।

	- कांग्रेस के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष के साथ ही क्षेत्रीय दलों का उदय शुरू हुआ।
	- 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी सर्वोच्च पद पर आसीन हुईं।
	- मोरारजी देसाई (गुजरात) और जेपी (बिहार) जैसे नेताओं ने भ्रष्टाचार और मनमाने शासन का हवाला देते हुए कांग्रेस विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया।
	- 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया, जो भारत में पहली बार ऐतिहासिक कदम था।
1977-80: बहुदलीय प्रणाली और अंतर-दलीय संघर्ष का युग	- 1977 में जनता पार्टी का उदय हुआ, जिसने गठबंधन आधारित बहुदलीय प्रणाली के उदय को चिह्नित किया।
	- कांग्रेस के खिलाफ छोटी पार्टियाँ एकजुट हुईं, लेकिन उनमें वैचारिक एकजुटता की कमी के कारण जनता पार्टी का पतन हो गया।
	- 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई।
1980-89: कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच खींचतान	- क्षेत्रीय पार्टियाँ अधिक मुखर हो गईं और केन्द्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगीं।
	- 1984 के लोकसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) जैसी क्षेत्रीय पार्टियाँ मुख्य विपक्षी पार्टी बन गईं।

1989-1996: बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन राजनीति	- राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, भ्रष्टाचार घोटालों (जैसे, बोफोर्स) और आर्थिक संकटों के कारण गठबंधन सरकारें उभरीं, जो लगभग 25 वर्षों तक चलीं।
	- क्षेत्रीय दलों ने अस्थायी गठबंधन बनाए, जो अल्पकालिक थे।
1996-1999: तीन आम चुनावों का दौर	- तीन आम चुनाव देखे और गठबंधन सरकारों का उदय हुआ।
	- नीतिगत निष्क्रियता और निर्णय लेने एवं विधेयक कार्यान्वयन में विलंब।
	- क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा में मदद की।
	- गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सशक्त आवाज प्रदान की, जिससे चुनावी संघवाद को बढ़ावा मिला।
	- तेईस क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता साझा की, जिससे भारत की संघीय एकता मजबूत हुई।
2014-वर्तमान: एकदलीय प्रणाली का पुनरुत्थान	- 2014 और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने 25 साल की गठबंधन राजनीति को समाप्त करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया।

	- क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई, लेकिन केंद्र-राज्य संबंधों पर नजरिया बदल गया।
	- वित्तीय मुद्दे केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद का प्रमुख मुद्दा बन गए हैं।
	- क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को मान्यता

चुनाव आयोग की भूमिका : राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में पंजीकृत करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना। अन्य दलों को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मान्यता की आवश्यकता

1. मान्यता प्राप्त दलों के लिए विशेषाधिकार :

- मतदाता सूची तक पहुंच।
- राज्य के स्वामित्व वाले टीवी और रेडियो पर राजनीतिक प्रसारण के लिए आवंटित समय।
- आरक्षित पार्टी प्रतीक.

2. पार्टी प्रतीकों का आवंटन :

- **राष्ट्रीय पार्टी :** एक प्रतीक जो विशेष रूप से राष्ट्रव्यापी उपयोग के लिए आरक्षित है।

○ **राज्य पक्ष** : वह प्रतीक जो उस राज्य(राज्यों) में प्रयोग के लिए आरक्षित होता है जहां उसे मान्यता प्राप्त है।

○ **पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त पार्टी** : मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए आरक्षित प्रतीकों को छोड़कर, मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक प्रतीक का चयन करती है।

3. प्रस्तावकों और स्टार प्रचारकों की भूमिका :

○ **मान्यता प्राप्त दल** : नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 40 स्टार प्रचारकों की अनुमति होती है।

○ **पंजीकृत-गैरमान्यता प्राप्त पार्टियाँ** : केवल 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति।

○ **नोट**: स्टार प्रचारकों का खर्च उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तें

किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी करती है:

1. लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव के दौरान चार या अधिक राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करना , तथा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना।
2. चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
3. आम चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीतता है, जिसमें कम से कम तीन राज्यों से उम्मीदवार चुने जाते हैं ।

वर्तमान राष्ट्रीय पार्टियाँ

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)
2. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) (सीपीआई-एम)
4. आम आदमी पार्टी (आप)
5. बहुजन समाज पार्टी (बसपा)
6. नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)

राज्य पक्ष के रूप में मान्यता के लिए शर्तें

किसी पार्टी को राज्य में **राजकीय पार्टी** के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करती है:

1. **लोकसभा या विधान सभा चुनावों** के दौरान राज्य में कुल वैध मतों का **8%** प्राप्त करना ।
2. **विधान सभा चुनावों में 3%** सीटें जीतना या कम से कम **3 सीटें**, जो भी अधिक हो।
3. राज्य को आवंटित प्रत्येक **25 सीटों में से 1 लोकसभा सीट** जीतता है ।
4. **लोकसभा चुनाव** के दौरान राज्य में **6% वैध वोट** प्राप्त करना तथा उस राज्य से लोकसभा की **1 सीट जीतना**।

क्षेत्रीय दलों का उदय

- पिछले चार दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भारत की संसद में विविधता आई है।
- स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उनके विकास के कारण बहुमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई।
- 1989 से ही क्षेत्रीय दल गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, जो भारत की संघीय प्रणाली को उजागर करता है।

क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण

1. **सांस्कृतिक और जातीय बहुलवाद** : विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व (जैसे, असम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल)।
2. **आर्थिक असमानताएँ** : क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के कारण **झारखंड मुक्ति मोर्चा** जैसी पार्टियों का गठन हुआ।
3. **राष्ट्रीय राजनीति की विफलता** : राष्ट्रीय नीतियों से क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पातीं (उदाहरण के लिए, विकास नीतियों के खराब कार्यान्वयन के कारण पश्चिम बंगाल में सीपीआई का उदय)।

4. **करिश्माई क्षेत्रीय नेता** : बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना) जैसे नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टियों के विकास में योगदान दिया।
5. **बड़ी पार्टियों में गुटबाजी** : राष्ट्रीय पार्टियों में विभाजन के कारण नए क्षेत्रीय गुटों का जन्म हुआ (जैसे, जनता दल से राजद, जद (यू))।
6. **जाति और धर्म** : जाति और धार्मिक आधार पर आधारित पार्टियाँ, जैसे समाजवादी पार्टी (यादव) और बहुजन समाज पार्टी (दलित)।
7. **राज्यों का पुनर्गठन** : भाषा, संस्कृति या ऐतिहासिक कारकों के आधार पर राज्यों की मांग।
8. **जनजातीय समूहों का अलगाव** : जनजातीय आबादी में असंतोष के कारण क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ।

क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं

1. विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं या जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आरे वन शोषण के प्रति शिवसेना का विरोध।
3. जाति, भाषा या समुदाय से जुड़ी चिंताओं का समाधान करें, जैसे कि सपा और राजद द्वारा यादव जाति से जुड़ी मांगें।
4. अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों एवं संस्कृति के संरक्षण की वकालत करना।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका

1. केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव , अधिक प्रांतीय स्वायत्तता के लिए दबाव डालना।
2. क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर शासन व्यवस्था ।
3. मतदाताओं की पसंद में वृद्धि हुई , जिससे राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई।
4. राजनीतिक चेतना जगाई और क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रकाश डाला ।
5. एक पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती दी, विशेष रूप से कांग्रेस को।
6. राष्ट्रीय गठबंधन सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

क्षेत्रीय दलों की सीमाएँ

1. **राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ** : क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना।

2. **संकीर्ण दृष्टिकोण** : राष्ट्रीय मुद्दों पर सीमित ध्यान (उदाहरण के लिए, तीस्ता जल विवाद, कच्चाथीव द्वीप मुद्दा)।
3. **अंतर्राज्यीय एवं अंतरराज्यीय संघर्ष** : सीमा, जल विवाद और क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने में कठिनाई।
4. **राज्य की अर्थव्यवस्था** : दीर्घकालिक विकास की अपेक्षा लोकलुभावन उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. **स्वार्थ** : चुनावी लाभ के लिए भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद में संलिप्तता।
6. **अवास्तविक मांगें** : केंद्रीय नेतृत्व को अनुचित क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करना, जिससे नीति-निर्माण प्रभावित होता है।

निष्कर्ष

भारत की बहुदलीय प्रणाली, अपनी विविध विचारधाराओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ, जीवंत राजनीतिक विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख दलों का प्रभुत्व और अधिक आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की आवश्यकता, भारतीय पार्टी प्रणाली विकसित हो रही है और राष्ट्र की बदलती आकांक्षाओं के अनुकूल बन रही है।

चुनाव कानून: आरपीए 1950, आरपीए 1951, परिसीमन और दलबदल विरोधी

1.1 परिचय

चुनाव सार्वजनिक पद धारण करने के लिए नियमित अंतराल पर प्रतिनिधियों का चयन करने की एक औपचारिक प्रणाली है। यह एक समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शासन करने के लिए व्यक्तियों या समूहों को चुना जाता है।

- **संवैधानिक प्रावधान** : भाग XV (अनुच्छेद 324-329) चुनावों से संबंधित है और उनके विनियमन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

लेख	विवरण
-----	-------

324	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है ।
325	यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या अन्य आधारों पर मतदाता सूची में शामिल होने से कोई अयोग्यता न हो ।
326	लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई ।
327	यह विधेयक संसद को संसद के सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें परिसीमन और मतदाता सूची भी शामिल है।
328	राज्य विधानमंडलों को संवैधानिक और संसदीय कानूनों के अधीन रहते हुए अपने राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव हेतु प्रावधान करने का अधिकार देता है ।
329	कानून द्वारा निर्धारित चुनाव याचिका के अलावा चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक ।

1.2 चुनाव से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान

- निर्वाचन आयोग (ईसीआई) निम्नलिखित के लिए चुनाव आयोजित करता है:
 - संसद और राज्य विधानमंडल।
 - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय .
- राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) निम्नलिखित के लिए चुनावों की देखरेख करता है:
 - अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतें ।

- अनुच्छेद 243जेडए के तहत नगर पालिकाएं ।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र :
 - भारत भौगोलिक रूप से कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
 - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए एक सामान्य मतदाता सूची रखता है।
- भेदभाव न करना :
 - धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
 - इन कारकों के आधार पर समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मतदाता सूचियाँ नहीं बनाई जा सकतीं।
- मतदाता पात्रता :
 - कोई भी भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र है, जब तक कि उसे कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए (जैसे, गैर-निवास, अस्वस्थ मस्तिष्क या आपराधिक गतिविधि के कारण)।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :
 - यह सुनिश्चित करता है कि सभी वयस्क नागरिकों को जाति, वर्ग, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार हो।
 - अनुच्छेद 326 के तहत लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत पर आधारित ।

1.3 भारत में चुनाव के प्रकार

चुनाव का प्रकार	विवरण
-----------------	-------

राज्यसभा चुनाव	- एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से संचालित।
	- राज्य विधान सभाओं और तीन केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित।
	- सदस्य छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं; एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तथा सीटें चुनाव और राष्ट्रपति के नामांकन के माध्यम से भरी जाती हैं।
लोकसभा चुनाव (संसदीय)	- भारत के वयस्क नागरिकों द्वारा प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट के आधार पर निर्वाचित।
	- चुनाव हर पांच साल में आयोजित किये जाते हैं।
	- लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से 131 अनुसूचित जाति (84) और अनुसूचित जनजाति (47) के लिए आरक्षित हैं।
राज्य विधानसभा चुनाव (विधानसभा)	- विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में निर्वाचित उम्मीदवार।
	- विधायकों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
राज्य विधान परिषद	- सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
	- आकार: राज्य विधानसभा का 1/3, न्यूनतम 40 सदस्य (अनुच्छेद 171)।

	- स्नातक (1/12), शिक्षक (1/12), स्थानीय निकाय सदस्य (1/3) और विधान सभा सदस्य (1/3) द्वारा निर्वाचित, राज्यपाल (1/6) द्वारा नामांकन के साथ।
उप-चुनाव	- नियमित चुनावों के बीच निर्वाचित कार्यालयों में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जाता है।
	- किसी प्रतिनिधि की मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता या निष्कासन के कारण घटित होना।
	- चुनाव छह महीने के भीतर होना चाहिए, सिवाय इसके कि शेष अवधि एक वर्ष से कम हो या चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित हो।
	- राजनीतिक दलों को जनता की भावना को समझने और चुनावी ताकत का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करना।

1.4 चुनाव संचालन में शामिल विभिन्न निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन अधिकारी	भूमिका और जिम्मेदारियाँ
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ)	- किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चुनावों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है।
	- चुनाव आयोग के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है।
	- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव कार्य के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।

जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)	- सीईओ के निर्देशन में जिले में चुनाव गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
	- राज्य सरकार के परामर्श से चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है।
रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ)	- संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनावों के संचालन का प्रबंधन करता है।
	- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता है।
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ)	- संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार।
	- सहायता के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
पीठासीन अधिकारी	- मतदान अधिकारियों की सहायता से मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन करता है।
	- जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी (संघ शासित प्रदेशों के लिए) द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
पर्यवेक्षक	- चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की देखरेख करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए नामित किया जाता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हों।

	- इसमें सामान्य पर्यवेक्षक, चुनाव व्यय पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक शामिल हैं।
	- 1996 में संशोधन के साथ, पर्यवेक्षकों को चुनाव संचालन की निगरानी करने की वैधानिक शक्तियां प्राप्त हो गयीं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

प्रमुख विशेषताएँ:

1. सीट आवंटन एवं परिसीमन:

- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और परिषदों में सीटें आवंटित करता है।
- नवीनतम जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
- **राष्ट्रपति की शक्तियाँ** : राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श के बाद परिसीमन आदेश में संशोधन कर सकते हैं।

2. मतदाता योग्यताएँ:

- भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, तथा निम्नलिखित कारणों से अयोग्य नहीं होना चाहिए:

- गैर निवास।
- मानसिक विकृति (सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित)
- आपराधिक अपराध या भ्रष्ट आचरण।

3. मतदाता सूची प्रबंधन:

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा।

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है तथा धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

4. सीटों का आरक्षण:

- संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

प्रासंगिक अनुभाग:

अनुभाग	प्रावधान
धारा 3	लोक सभा में सीटों का आवंटन।
धारा 4	विधान सभाओं में कुल सीटें.
धारा 15	मतदाता सूची की तैयारी एवं संशोधन।
धारा 16	मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

प्रमुख विशेषताएँ:

1. योग्यताएं और अयोग्यताएं:

- अभ्यर्थियों के लिए योग्यताएं:
 - न्यूनतम आयु: लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के लिए 25 वर्ष; स्थानीय निकायों के लिए 21 वर्ष।
 - निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए।

- **अयोग्यताएं (धारा 8):**
 - भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे अपराधों के लिए दोषसिद्धि।
 - चुनाव व्यय घोषित न करना (धारा 10ए)।
 - लाभ का पद धारण करना।

2. चुनाव विवाद:

- चुनाव परिणाम के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।
- रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव डालना और शत्रुता को बढ़ावा देना जैसे भ्रष्ट आचरण चुनावों को अमान्य कर सकते हैं।
- अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

3. भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध:

- **धारा 123 में परिभाषित :**
 - रिश्वतखोरी.
 - अवांछित प्रभाव।
 - शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना।
- **चुनावी अपराध:**

अनुभाग	प्रावधान
धारा 125	वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना।

धारा 125ए	झूठे हलफनामे दाखिल करने पर जुर्माना.
धारा 126	मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध।
धारा 126ए	एग्जिट पोल प्रकाशन पर प्रतिबंध।
धारा 127ए	पर्चे और पोस्टर छापने पर प्रतिबंध।
धारा 129	चुनाव अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों के लिए कार्य करने पर प्रतिबन्ध।
धारा 130	मतदान केन्द्रों के निकट प्रचार पर प्रतिबन्ध।

4. राजनीतिक दलों की भूमिका:

- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में पंजीकरण एवं मान्यता।
- 2,000 रुपये से अधिक के अंशदान की रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई।
- प्रति योगदानकर्ता नकद दान को 2,000 रुपये तक सीमित किया गया।

5. चुनाव सुधार:

- नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का परिचय ।
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वीवीपीएटी (वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का उपयोग ।

चुनाव आयोग की शक्तियां

1. अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण:

- संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का पर्यवेक्षण करता है।
- राजनीतिक दलों की मान्यता से संबंधित विवादों का समाधान करना।

2. अयोग्यता कार्यवाही:

- अयोग्यता की जांच करना।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल को रिपोर्ट करता है, जिनका निर्णय बाध्यकारी होता है।

चुनाव कानूनों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

1. गलत खुलासे:

- उम्मीदवार अक्सर अपनी संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अधूरी या गलत जानकारी देते हैं।

2. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:

- सरकार पर इसकी वित्तीय और प्रशासनिक निर्भरता पर चिंता।

3. डिजिटल अभियान:

- सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उल्लंघनों की निगरानी करना कठिन है।

4. सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग:

- सत्तारूढ़ दल कभी-कभी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं।

5. लाभ के पद में अस्पष्टता:

- "लाभ का पद" शब्द अभी भी अपरिभाषित है, जिसके कारण कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।

उपचार और चुनाव याचिकाएँ

1. चुनाव याचिकाएँ:

- चुनाव परिणाम के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया।
- भ्रष्ट आचरण, चुनाव नियमों के उल्लंघन और नामांकन की अनुचित स्वीकृति जैसे आधारों पर चुनावों को चुनौती दी जा सकती है।

2. निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता के आधार:

- आरपीए, 1951 के अंतर्गत:
 - कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि।
 - चुनाव व्यय घोषित करने में विफलता।
- संविधान के तहत (अनुच्छेद 102 और 191):
 - लाभ का पद, विकृत मस्तिष्क, दिवालियापन, या गैर-नागरिकता।

3. अयोग्यता की प्रक्रिया:

- चुनाव आयोग ने जांच शुरू की।
- राष्ट्रपति (सांसदों के लिए) या राज्यपाल (विधायकों के लिए) को भेजी गई सिफारिश।

4. न्यायिक उपाय:

- उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. चुनाव सुधार:

- चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण लागू किया जाए।
- उम्मीदवारों के विवरण के सटीक प्रकटीकरण के लिए कानूनों को मजबूत करें।
- डिजिटल अभियानों की प्रभावी निगरानी करें।

2. चुनाव आयोग को सशक्त बनाना:

- वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
- चुनावों की व्यापक निगरानी के लिए इसे आधुनिक प्रौद्योगिकी और मानवशक्ति से सुसज्जित किया जाएगा।

3. लाभ का पद परिभाषित करना:

- दुरुपयोग और कानूनी अस्पष्टता से बचने के लिए स्पष्ट परिभाषा प्रदान करें।

परिसीमन: परिभाषा, आवश्यकता और चुनौतियाँ

1.6 परिसीमन क्या है?

परिसीमन, जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने तथा विधायी निकाय में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

- भारतीय संदर्भ में, यह लोकसभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है।
- उदाहरण: दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन विधानसभा की 70 सीटें हैं।

1.6.1 परिसीमन की आवश्यकता

- जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- मतदाताओं के वितरण को संतुलित करके किसी भी समूह या पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलने से रोकता है।

- विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को दूर करके "एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत को कायम रखा गया।

1.6.2 संवैधानिक प्रावधान

लेख	प्रावधान
अनुच्छेद 82	प्रत्येक जनगणना के बाद, संसद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करती है।
अनुच्छेद 170	परिसीमन अधिनियम के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करना होगा।

1.6.3 परिसीमन में प्रमुख घटनाएँ

1. प्रारंभिक अभ्यास:

- 1950-51 में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सहायता से इसका संचालन किया गया।
- इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 लागू किया गया।

2. परिसीमन आयोग:

- 1952, 1963, 1973 और 2002 में स्थापित।

3. परिसीमन को प्रभावित करने वाले संशोधन:

- 42वां संशोधन अधिनियम (1976): जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 तक 1971 की जनगणना के स्तर पर सीट आवंटन को स्थिर रखा गया।

- **84वां संशोधन अधिनियम (2001):** सीट आवंटन पर रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया लेकिन 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र समायोजन की अनुमति दी गई।
- **87वां संशोधन अधिनियम (2003):** लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई।

4. परिसीमन अधिनियम, 2002:

- **2001 की जनगणना** के आधार पर अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों को पुनः निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई।

5. भावी परिसीमन:

- अगला परिसीमन कार्य 2026 की जनगणना के बाद निर्धारित है।

1.6.4 परिसीमन आयोग की संरचना और नियुक्ति

पहलू	विवरण
अध्यक्ष	एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश .
सदस्यों	मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
नियुक्ति	भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित।

1.6.5 परिसीमन आयोग के कार्य

1. सीमा समायोजन:

- निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना।

2. सीटों का आरक्षण:

- जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना।

3. शक्तियां:

- आयोग के आदेश **कानूनी रूप से मान्य हैं** तथा उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- आदेश संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किये जाते हैं, लेकिन उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।
- आयोग में मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी।

1.6.6 परिसीमन से जुड़ी चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
क्षेत्रीय असमानता	जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्हें दंडित किया जाता है , जबकि उत्तरी राज्यों को लाभ मिलता है।
राजनीतिक पूर्वाग्रह	गेरीमैंडरिंग के आरोप , जहां कुछ विशेष पक्षों को लाभ पहुंचाने के लिए सीमाओं में हेरफेर किया जाता है।
पारदर्शिता की कमी	प्रक्रिया के दौरान जनता की भागीदारी और जांच सीमित होगी।
अपर्याप्त भौगोलिक विचार	नदियाँ या पहाड़ों जैसी प्राकृतिक सीमाओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा होती हैं।

1.6.7 चुनौतियों से निपटने के लिए कदम

1. आम सहमति बनाना:

- 2026 की जनगणना से पहले क्षेत्रीय असमानता के मुद्दों को सुलझाने और सहमति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संवाद ।

2. परिसीमन के लिए वैकल्पिक मानदंड:

- जनसंख्या डेटा के साथ-साथ भौगोलिक विशेषताएं , सामुदायिक हित और ऐतिहासिक सीमाओं जैसे अतिरिक्त कारक भी शामिल करें ।

दलबदल विरोधी कानून

परिचय

दलबदल विरोधी कानून 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना, पार्टी अनुशासन बनाए रखना और विधायी निकायों में स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है , जो कुछ अपवादों के साथ अपनी पार्टियों से दलबदल करने वाले या पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को अयोग्य ठहराता है।

अधिनियम का प्रावधान

दलबदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता (अनुच्छेद 102(2) और 191(2)):

वर्ग	अयोग्यता मानदंड
किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य	- स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्यागना। - बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से दूर रहना। यदि 15 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो अयोग्यता लागू होती है।

मनोनीत सदस्य	- सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना।
स्वतंत्र सदस्य	- चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता है। - सरकार को बाहर से समर्थन दे सकता है या मंत्री बन सकता है, लेकिन विधायिका का सदस्य नहीं रह सकता।

दलबदल अयोग्यता के अपवाद

अपवाद	विवरण
विलयन	- यदि कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी के साथ विलय के कारण पार्टी छोड़ देता है तो अयोग्यता लागू नहीं होती है। - विलय तभी होता है जब पार्टी के 2/3 विधायक इसके लिए सहमत हों।
पीठासीन अधिकारी	- यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी बन जाता है और स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है या पद छोड़ने के बाद वापस अपनी पार्टी की सदस्यता ले लेता है तो अयोग्यता लागू नहीं होती है। - यह अपवाद कार्यालय की गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

अन्य प्रमुख प्रावधान

प्रावधान	विवरण
निर्णायक प्राधिकारी	- सदन का पीठासीन अधिकारी अयोग्यता से संबंधित मामलों का निर्णय करता है।

	- यह निर्णय शुरू में अंतिम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किहोटो होलोहान मामले (1992) में इसे असंवैधानिक करार दिया।
नियम बनाने की शक्ति	- पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकते हैं, जो सदन द्वारा अनुमोदन या संशोधन के अधीन हैं। - नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को विशेषाधिकार हनन के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
सचेतक की भूमिका	- यह सुनिश्चित करना कि पार्टी के सदस्य उपस्थित हों और पार्टी के रुख के अनुसार मतदान करें। - व्हिप का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

टिप्पणी:

- 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम ने विभाजन की स्थिति में विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने से छूट हटा दी।

दलबदल विरोधी कानून का मूल्यांकन

अधिनियम का उद्देश्य

- व्यक्तिगत लाभ या पद प्राप्ति की चाहत से प्रेरित दलबदल पर अंकुश लगाना।
- संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कि विधायक अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहें।

महत्व

पहलू	विवरण
राजनीतिक स्थिरता	दलबदल पर अंकुश लगाकर सरकार में बार-बार होने वाले बदलावों को रोकता है।

लोकतांत्रिक पुनर्संरक्षण	यह विधानमंडलों के भीतर व्यक्तिगत दलबदल के बिना लोकतांत्रिक ढंग से पुनः संयोजन हेतु विलय की अनुमति देता है।
भ्रष्टाचार पर अंकुश	चुनावों में खरीद-फरोख्त और अनावश्यक व्यय को कम करता है।
संवैधानिक मान्यता	संविधान में पहली बार राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता दी गई।
सामंजस्य सुनिश्चित करना	राजनीतिक व्यवस्था के विखंडन को कम करते हुए पार्टियों के भीतर आंतरिक एकता को बढ़ावा देता है।

दलबदल विरोधी कानून से जुड़े मुद्दे

मुद्दा	विवरण
असहमति पर अंकुश लगाना	पार्टियों के भीतर आंतरिक बहस को दबाता है, तथा विधायकों की निर्वाचन क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को सीमित करता है।
हॉर्स ट्रेडिंग को वैध बनाना	दो-तिहाई सदस्य सहमत हों तो विलय अपवाद के तहत दलबदल की अनुमति दी जाती है, जबकि व्यक्तिगत दलबदल पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
पार्टी विरोधी गतिविधियाँ	यह विधेयक विधानमंडल के बाहर पार्टी हितों के विपरीत गतिविधियों में शामिल सदस्यों के मुद्दे पर विचार नहीं करता है।

भेदभाव	स्वतंत्र सदस्यों और मनोनीत सदस्यों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है , जिससे अनुचित व्यवहार होता है।
अध्यक्ष की भूमिका	दलबदल के मामलों में निर्णय लेने में अध्यक्ष की भूमिका की पक्षपातपूर्ण और निष्पक्षता की कमी के लिए आलोचना की जाती है ।
कोई समय सीमा नहीं	दलबदल के मामलों को सुलझाने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होने के कारण इसमें काफी देरी होती है।
लोकतंत्र को कमजोर करना	यह विधायकों को अपने मतदाताओं की अपेक्षा अपनी पार्टियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना कमजोर होती है।

91वां संशोधन अधिनियम (2003)

इस संशोधन ने दलबदल विरोधी कानून को मजबूत किया और मंत्रिपरिषद् के आकार पर प्रतिबंध लगा दिया ।

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 75(1ए) और 164(1ए)	केन्द्र और राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है।
अनुच्छेद 75(1बी) और 164(1बी)	दलबदल के कारण अयोग्य घोषित किये गये सदस्यों को पुनः निर्वाचित होने तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 361बी	लाभकारी राजनीतिक पद धारण करने से रोक दिया जाता है ।
दसवीं अनुसूची संशोधन	विधायक दल के एक तिहाई सदस्यों के विभाजन की स्थिति में अयोग्यता की छूट को हटा दिया गया।

दलबदल विरोधी कानून में सुधार के सुझाव

सुझाव	विवरण
स्वतंत्र न्यायनिर्णयन	दलबदल के मामलों का निर्णय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र न्यायाधिकरण को सौंपना, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय और द्वितीय एआरसी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है।
दायरा सीमित करें	प्रतिनिधि लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुप्रयोग को विश्वास मत से जुड़े मामलों तक सीमित रखें।
समयबद्ध निर्णय	सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार दलबदल के मामलों को निपटाने के लिए तीन महीने की समय-सीमा लागू करें ।
अंतर-पार्टी लोकतंत्र	दलबदल के कारण उत्पन्न अस्थिरता को दूर करने के लिए पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना।
राजनीतिक दलों को विनियमित करें	राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए कानून बनाएं, जिसमें आरटीआई कवरेज और बढ़ी हुई पारदर्शिता शामिल हो।

दलबदल विरोधी कानून से संबंधित उल्लेखनीय मामले

मामला	विवरण
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)	सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994)	"स्वैच्छिक रूप से सदस्यता त्यागना" को त्यागपत्र से अधिक व्यापक रूप में परिभाषित किया गया।
जी. विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु विधानसभा (1996)	निष्कासित सदस्यों को अयोग्यता के प्रयोजनों के लिए उनकी पूर्व पार्टी का हिस्सा माना जाता है।
राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007)	अध्यक्ष दलबदल की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते या उचित निष्कर्ष के बिना विभाजन के दावों को स्वीकार नहीं कर सकते।
श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम कर्नाटक विधानसभा (2019)	विश्वास मत के दौरान व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया; न्यायालय ने अयोग्यता के मामलों के लिए बाह्य तंत्र की सिफारिश की।
कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा (2020)	अध्यक्ष की निर्णायक भूमिका के स्थान पर एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया गया।

निष्कर्ष

शासन में अस्थिरता और अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून पेश किया गया था। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन को अलोकतांत्रिक, पक्षपाती और विलंबित होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को बनाए रखने और राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर करने के लिए पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना, समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना और स्वतंत्र निकायों को निर्णय सौंपना आवश्यक है।

